

10. आवेदित भूमि के मध्य विद्युत लाईन स्थित है, उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा विभागीय आदेश दिनांक 17.06.2022 के प्रावधानानुसार आवयक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपायें अपनाये जाने की सुनिश्चितता विकासकर्ता के द्वारा की जानी होगी।
11. आवेदित क्षेत्र में से यदि सिंचित खाला है तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होंगे तथा योजना में किसी भी प्रकार का निर्माण है तो उसे हटाया जाना होगा।
12. प्रचलित भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र/निषेध क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं कि सुनिश्चितता आवेदक द्वारा की जावे।

रेजोल्यूशन 02 : सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री बनवारी लाल पुत्र श्री मुखराम निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर (राज०) द्वारा राजस्व ग्राम तहसील पदमपुर के तहसील चक 23 बी.बी. का मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 11/0.242, 12/0.242, 13/0.051, 18/0.039, 19/0.218, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.128 कुल 1.426 हैक्टेयर भूमि का भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ (आवासीय योजना) ले आउट प्लान अनुमोदन का प्रकरण समिति के समक्ष रखा।

प्रार्थी द्वारा (आवासीय योजना) प्रयोजनार्थ अनुज्ञा और आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क एवं ततधीन बनाये गए राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि परियोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 अधिसूचना प.3(90) नविवि/3/32012 जयपुर दिनांक 21.06.2021 में वर्णित समस्त दस्तावेज दिनांक 13.12.2023 को पालिका में प्रस्तुत किये। प्रकरण के सम्बंध में नगरपालिका स्तर पर की गई जांच और कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी है। आवेदित भूमि का पहुँचमार्ग पूर्व स्वीकृत विश्वकर्मा मार्केट योजना की आंशिक 60 फीट सड़क से मिलान कर 40'x172' रास्ते हेतु समर्पित भूमि से प्रस्तावित किया गया है एवं विश्वकर्मा मार्केट योजना की अन्य 30 फीट सड़क भी समर्पित रास्ते पर मिलती है। संदर्भित पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि गुरु द्वारे की सीमा के पश्चात् किला नं. 10 एवं किला नं. 11 में उक्त रास्ते का मौके पर साईज 172'x40' है। आवेदित भूमि पर मिट्टी भर्ती का कार्य किया गया है एवं भूमि रिक्त है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2010-31 में निम्न घनत्व आवासीय प्रयोजनार्थ तद्वत् के लिए प्रावधान किया गया है। आवेदित भूमि में से LI/HT Line गुजर रही है। जिसे टोटल स्टेशन सर्वे में दर्शाया गया है।

प्रकरण के संबंध में नियम 6 के अनुसार प्राप्त आवेदन का एक सैट नियम 3(1) के तहत जाँच कर 15 दिवस के भीतर सहमति/आक्षेप भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक 137 दिनांक 15.04.2024 द्वारा तहसीलदार राजस्व को भिजवाया गया जिसका प्रतिउत्तर कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) के पत्रांक 203 दिनांक 17.05.2024 पालिका को प्राप्त हो चुका है। प्रकरण में संबंध में तकनीकी राय हेतु आवेदन एक सैट पत्र क्रमांक 445 दिनांक 13.05.2024 द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, बीकानेर को भिजवाया गया। पालिका द्वारा निर्धारित प्रारूप 10 में राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में लोक सूचना को प्रकाशित करवाई गई अन्दर मियाद कोई आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक महोदय, नगर नियोजक विभाग, बीकानेर के रेफ न 7457342 दिनांक 23.5.2024 द्वारा प्रकरण में संबंध में तकनीकी राय प्राप्त हो चुकी है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का (आवासीय योजना) प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :- बाद विचार विमर्श निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदित भूमि का कृषि भूमि का अकृषि (आवासीय योजना) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन कर पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

1. आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन हटाये जाने बाबत शपथ-पत्र दिया गया था जिसके अध्याधिन नगर नियोजन बीकानेर तकनीकी अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में एचटी/एलटी विद्युत लाईन विद्यमान होने के कारण योजना भूसं. ए-03, ए-04, ए-29, ए-36, ए-37, ए-43, ए-44, ए-45, ए-46, ए-47, ए-48 का नियमन एचटी/एलटी विद्युत लाईन हटाये जाने तक नहीं किया जावेगा एवं योजना के ले-आउट प्लान में उक्त भूखण्डों का विद्युत लाईन हटाये जाने तक नियमन नहीं किये जाने का नोट अंकित कर दिया गया है।
2. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 व मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश /परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
3. आवेदित भूमि का पहुँचमार्ग पूर्व स्वीकृत विश्वकर्मा मार्केट योजना की आंशिक 60 फीट सड़क से मिलान कर 40'x172' रास्ते हेतु समर्पित भूमि से प्रस्तावित किया गया है एवं विश्वकर्मा मार्केट याजे ना की अन्य 30 फीट सड़क भी समर्पित रास्ते पर मिलती है। संदर्भित पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि गुरुद्वारे की सीमा के पश्चात् किला नं. 10 एवं किला नं. 11 में उक्त रास्ते का मौके पर साईज 172'x40' है। उक्त 40 फीट चौड़े पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता आवेदक स्तर पर अपेक्षित है। 40 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग सुनिश्चित नहीं होने पर यह ले आउट प्लान अनुमोदन निरस्त माना जावेगा।
4. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि व भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दें जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
5. आवेदित भूमि में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
6. आवेदित योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्डों का निष्पादन टाउनशिप पालिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया जावे।
7. आवेदित भूमि के मध्य एलटी विद्युत लाईन स्थित है। उक्त विद्युत लाईन को शपथ-पत्र प्रावधानों के अनुसार अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा। विद्युत लाईन के नीचे प्रस्तावित भूखण्डों का नियमन विद्युत लाईन हटाये जाने के पश्चात् ही किया जावेगा।
8. आवेदित क्षेत्र में से यदि सिंचित खाला है तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होंगे तथा योजना में किसी भी प्रकार का निर्माण है तो उसे हटाया जाना होगा।
9. प्रचलित भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र/निषेध क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं कि सुनिश्चिता आवेदक द्वारा की जावे।
10. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावे एवं यदि योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा जारी ले आउट प्लान अनुमोदन स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

निर्णय 03 : सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री मुखराम निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर (राज०) द्वारा राजस्व ग्राम तहसील पदमपुर के तहसील मुरब्बा नं. 11 के किला नं.13/0.191, 18/0.214, 19/0.035, 22/0.125, 23/0.253 कुल 0.818 हैक्टेयर भूमि का भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ (आवासीय योजना) ले आउट प्लान अनुमोदन का प्रकरण समिति के समक्ष रखा।

प्रार्थी द्वारा (आवासीय योजना) प्रयोजनार्थ अनुज्ञा और आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क एवं तत्तधीन बनाये गए राजस्थान नगरीय क्षेत्र



राजस्थान RAJASTHAN



BN 284247

शपथ-पत्र

मै- बनवारी लाल पुत्र श्री मुख राम जाति मेघवाल निवासी 23 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का हूँ।

- यह कि मेरे अपने स्वामित्व की भूमि राजस्व द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम चक 23 बी बी मुरबा नं० 11 की कुल 1.426 हैक्टेयर कृषि भूमि का कृषि भूमि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण करवाया जा रहा है जिसको मोडल टाउन के नाम से विकसित किया जा रहा है। जिनके आन्तरिक विकास कार्य सड़क, पानी बिजली, पार्क, नालियों का निर्माण मेरे द्वारा करवाया जावेगा, जिसके लिए मैं पाबन्द रहूंगा। मेरे द्वारा इस पेटे निम्न प्लॉट नगरपालिका को रहन रखे जाने है, जब तक आन्तरिक विकास का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता उक्त प्लॉटों के सबध में कोई आवेदन नहीं किया जायेगा।

रहन रखे जाने वाले प्लॉटों का विवरण

प्लॉट नं०	कुल प्लॉट	साईज प्रत्येक प्लॉट	कुल एरिया वर्गफुट
इनफोरमल	—	—	3075
6	1	30'X 60'	1800
12	1	25'X 60'	1500
21, 23	2	25'X 55'	2750
60	1	25'X 50'	1250
			कुल 10375 वर्गफुट

प्रमाणित प्रतिलिपि

- मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ है कि शपथ पत्र में वर्णित तथ्य सही व सच लिखाये है, कोई बात गलत नहीं लिखाई है। दिनांक 28.08.2024

अल्बद

बनवारी लाल

ATTESTED

GURPREET KAUR
NOTARY, Govt. of India
Padampur, Distt. Sri Ganganagar (Raj.)

अधिशर्षी अधिकारी
नगरपालिका पदमपुर

01P37 05108 1
~~मामा/मामा 818~~

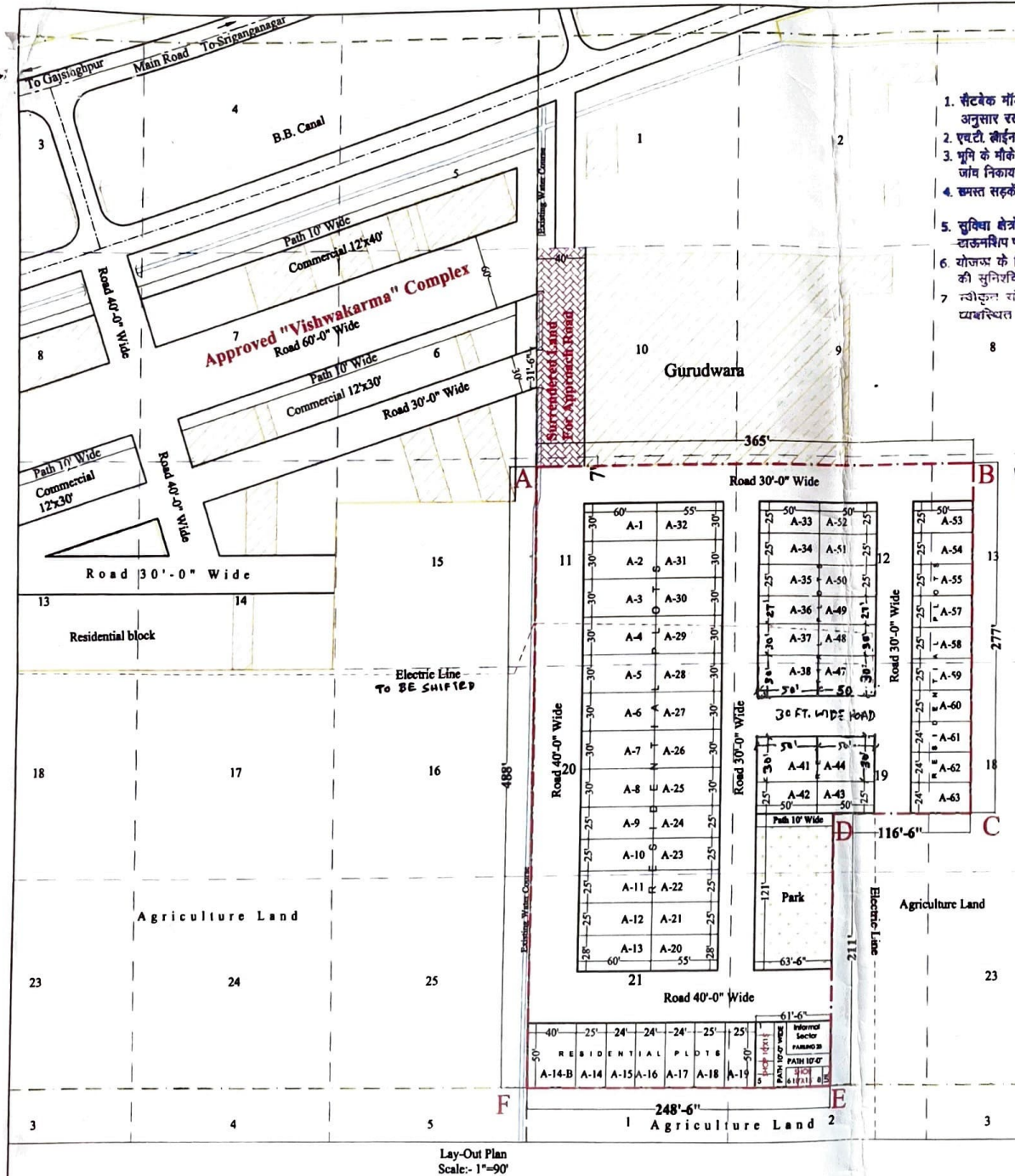
1/05/2010
25/03

~~मामा~~
~~मामा~~
~~मामा~~

20
20

मामा रीलत

A 5546 254P 2583



1. सैटबैक मॉडल राजस्थान ग्राम विनियम 2020 के अनुसार रखे जायें।
2. एवटी. लाइन के नीचे जाने वाले क्षेत्र को खाली रखा जायें।
3. भूमि के नीचे पर गा. प. स्वामित्व एवं न्यायिक ग्राम की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. छपरात सड़क, पार्क में खुला क्षेत्र निकाय के विनियम में।
5. सुविधा क्षेत्रों का निराकरण निकाय के विनियम में।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व गा. प. स्वामित्व एवं न्यायिक ग्राम की सुनिश्चिता की जानी होगी।
7. जोड़ना रोपना में भूखण्ड संख्या का अंक व्यवस्थित रूप से किया जायें।

LAND USE & AREA ANALYSIS
CHECKED BY: *[Signature]*

Area Analysis

Particular	Area	%
Residential	85720.00	55.83
Informal Sec.	3075.00	02.00
Facility	00000000	0000
Park & Path	7683.50	05.01
Roads	57060.00	37.16
Total	153538.50	100.00

Owner:-Mr.Banwari Lal S/o Mr. Mukh Ram
TOTAL AREA:-153538.50 sqft. or 1.426 hectare

बनवारी लाल

गुरीन+2
13/05/2024
नगरपालिका, पदमपुर

[Signature]

9/c

[Signature]
(रामवरकृष्ण चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जिला, बीकानेर

[Signature]
(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जिला, बीकानेर

[Signature]
ENGINEER
BRANCH OFFICE:-SHOP NO. 62-63,
NEAR HEAD POST OFFICE
SRIGANGANAGAR ROAD,
HANUMANGARH JN.
MOB:-80583-35789, 96676-48560

Lay-Out Plan Of Residential Colony "Model Town" Chak No. 23 B.B. ,Murbba No. 11,Killa No. 11(0.242),12(0.242),13(0.051),
18(0.039),19(0.218),20(0.253),21(0.253),22(0.128),Total=1.426Hectare At Padampur, Distt:- Sriganganagar (Raj.)